



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



603, ब्लॉक-5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2700872, E-mail: internsraj@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./शालादर्पण/इंटर्नशिप/2020/1097

दिनांक: 24/12/2020

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रा.शि.
समस्त जिले

विषय-शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के इंटर्नशिप के सम्बन्ध में

प्रसंग-शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग राजस्थान सरकार का पत्रांक प.7(8)प्रा.शि./आयो./2019 जयपुर, दिनांक 23.12.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि B.Ed./D.El.Ed./B.Sc.-B.Ed./B.A.-B.Ed. प्रथम वर्ष (द्वितीय चरण) एवं द्वितीय वर्ष (द्वितीय चरण) के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 12.12.2019 एवं 12.03.2020 को किया गया था। आवंटन प्रक्रिया के पश्चात कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मध्यनजर शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के इंटर्नशिप के सम्बन्ध में विद्यालय स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें :-

1. इंटर्नशिप के लिए उपर्युक्त आवंटन प्रक्रिया अन्तर्गत जिन प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्व में आवंटित विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया था उनकी इंटर्नशिप को पूर्ण मानते हुए इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाकर विद्यालयों से कार्यमुक्त कर तत्काल शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों में भिजवाया जायें।
2. इंटर्नशिप के लिए उपर्युक्त आवंटन प्रक्रिया अन्तर्गत जो प्रशिक्षणार्थी कार्यग्रहण हेतु अब आवंटित विद्यालय में उपस्थित होते हैं, उनको विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के निर्धारित मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन कार्यग्रहण करवायें एवं इंटर्नशिप को पूर्ण मानते हुए इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालयों से कार्यमुक्त कर तत्काल शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों /संस्थानों में भिजवाया जायें।
अतः पत्र की पालना तत्काल सुनिश्चित की जावें।

(एम.आर.बागडिया)

अति० राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक: 24/12/2020

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./शालादर्पण/इंटर्नशिप/2020/1098

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शि. प. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक मा.शि./प्रा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
4. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) शासन सचिवालय, जयपुर
5. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उपायुक्त-III